टीबी के मरीजों में वृद्धि चिंताजनक, 5 साल में आधा सैकड़ा मरीजों की मौत

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। पन्ना जिले में टीबी के मरीजों में लगातार बढ़ोत्तरी होना चिंता का विषय है। अधिकांश टीबी के मरीज जिले में चल रही पत्थर खदानों में सुरक्षा उपकरणों के अभाव मे शिकार हो रहे हैं। खनन कारोबारी मजदूरों से काम तो लेते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किये जाते हैं जिस कारण वे धीरे धीरे टीबी रोग के शिकार हो जाते हैं और अंत मे बेमौत मर जाते हैं।

टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री के लक्ष्य के बीच भी पन्ना जिले में पिछले पांच वर्षों में इस बीमारी के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग को गंभीर चिंता में डाल दिया है। पन्ना जिले में पिछले पांच वर्ष के टीबी को लेकर जो आकंडे उपलब्ध हुए है वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक पांच वर्ष के दौरान जिले में टीबी की बीमार से संक्रमित हुए कुल 13094 मामले सामने आए है। वर्ष 2020 में जहां टीबी के कुल 1867 मरीज पाए गए थे वहीं वर्ष 2024 में 2962 मरीज टीबी से संक्रमित पाए गए। जिले में वर्ष 2023 को छोड देंवे तो टीबी की मरीजो की संख्या हर साल वृद्धि के रूप दर्ज की गई है। पांच साल के दौरान जांच में टीबी पॉजटिव कुल 13094 मरीज पाए गए है उनको लेकर संतोषप्रद स्थिति

कही जा सकती है कि उपचार पाकर 1196 मरीज स्वास्थ्य भी हुए है। टीबी संक्रमित मरीजों के बीच में उपचार छोड देते है पिछले पांच सालो में बीच इलाज छोड देने वाले मरीजों की संख्या 309 दर्ज हुई है टीबी की बीमारी अभी भी घातक बनी हुई है पांच साल के दौरान जिलें में कुल 342 मरीजो की मौत दर्ज हुई है।

वर्ष 2025 में अब तक लक्ष्य से अधिक मिले मरीज:- टीबी के मामले में पन्ना की स्थिति औसतन रूप से चिंता जनक है वर्ष 2025 के लिए जिले में अनुमानित टीबी की मरीजों का लक्ष्य शासन स्तर पर तय किया जाता है किन्तु जिले में अभी तक इस लक्ष्य से अधिक टीबी के 2230 नए मामले सामने आ चुके है। क्षय विभाग की जानकारी के अनुसार जिले में 02 लाख 51 हजार 112 संदिग्धों की पहचान कर जांच का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध 01 लाख 83 हजार संदिग्ध की स्कैनिंग की जा चुकी है।

टीबी जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध:- जिले में जिला अस्पताल पन्ना समेत 12 डीएमसी केंद्रों और दो निजी अस्पतालों में टीबी जांच एवं उपचार नियमित चल रहे हैं। मरीजों की पहचान मुख्यत: बलगम के सैम्पल और एक्सरे जांच द्वारा की जाती है। उपचार के दौरान रोजाना दवा लेने की निगरानी भी होती है अगर मरीज समय पर और नियमित दवाएं नहीं लेते हैं तो बीमारी गंभीर एमडीआर टीबी का रूप ले सकती है जिसका इलाज लंबा और कठिन होता है। पन्ना जिले में डीआर टीबी के 70 मरीज पाए गए हैंए जिनमें मृत्यु दर अधिक है।

जागरूकता का अभाव संक्रमण के उपायों की अनदेखी:- टीबी की समय पर जांच और उपचार से इस बीमारी का पूरी तरह इलाज संभव है। यदि किसी व्यक्ति का टीबी संक्रमण हो जाता है तो 06 माह तक प्रोटोकॉल के अनुसार दवाओं का नियमित सेवन कर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सरकार के डॉट्स प्रोग्राम के तहत जांच उपचार और दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही मरीजों को आना-जाना करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

टीबी पीड़ितों की सामाजिक मदद में जिला पीछे

पन्ना टीबी पीडित मरीजों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो इसके लिए सामाजिक अभियान के माध्यम से उनके लिए फूड बास्केट को जुटाना और उन्हें उपलब्ध करना निक्षय मित्र कार्यक्रम शामिल है परंतु इस दिशा में प्रशानिक स्तर पर सामाजिक मदद के लिए प्रभावी रूप से पहल नहीं हुई है और अब तक सिर्फ418 फूड बास्केट ही लोगों की ओर से उपलब्ध हुए है। इस दिशा में प्रशासन को सामाजिक पहल से मिलने वाली मदद पर फोकस किए जाने की जरूरत है जिले में औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानो का समर्थन भी सामने नहीं आ रहा है।

दो दशक से जिला क्षय अधिकारी का पद खाली

जिले में टीबी के संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य करने की जरूरत है किन्तु जिले में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को सफलता के साथ क्रियान्वयन करने के लिए जो जरूरी स्टाफहोना चाहिए वह नहीं है। जिला क्षय अधिकारी का पद पिछले दो दशक से रिक्त पडा हुआ है इसके साथ जिला क्षय केन्द्र में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, रेडियोग्राफर, ट्रीटमेंट आर्गनाईजर जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त पडे हुए है। जिला क्षय केन्द्र सहायक ग्रेड-3 के दो कर्मचारियों तथा दो लैब टेक्नीशियनों और दो भृत्यों के भरोसे संचालित हो रहा है। नियमित रूप से स्वच्छता कर्मियों की तैनातगी नहीं होने से जिला शिक्षा केन्द्र के कार्यालय कक्ष के साथ ही लैब और अन्य कक्षों की साफ-सफाई नहीं हो पाती और इसके चलते संवेदनशील क्षेत्र ही संक्रमण के फैलाव की अधिक आशंकाओं को साफतौर पर समझा जा सकता है। इसी तरह डीएमसी सेन्टरों के लिए जो जरूरी स्टाफमानवीय संसाधन होने चाहिए उसकी स्थिति भी काफी कमजोर है।

छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित

नवभारत न्यूज

सिमरिया/पन्ना, 11 फरवरी। सिमरिया नगर में संचालित शासकीय कन्या हाई स्कूल सिमरिया मे कक्षा दसवीं मे अध्ययन छात्राओं का विदाई समारोह प्राचार्य अजय सिंह बुंदेला के मार्गदर्शन मे आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रजुलत कर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संस्था के वरिष्ठ शिक्षक कैलाश कुमार गुप्ता एवं विद्यालय परिवार द्वारा पूजन किया गया तत्पश्चात कक्षा 10 की छात्राओं ने अपने 2 वर्ष के अनुभव गीत एवं संभाषण के माध्यम से प्रस्तुत किये तत्पश्चात संस्था के वरिष्ठ शिक्षक कैलाश कुमार गुप्ता ने कहा कि परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का भय हमें अपने मन में नहीं लाना है हम निडर होकर परीक्षा दें परीक्षा में अच्छे अंक लाने के टिप्स छात्राओ बताएं और कहा कि आयोजित परीक्षा में संस्था से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओ को पुरस्कृत किया जाएगा कार्यक्रम मे जितेंद्र कुमार राजोरिया शिक्षक, श्रीमती कल्पना पाठक शिक्षक, भरत शुक्ल शिक्षक, श्रीमती पिंकी राय अतिथि शिक्षक, दिनेश कुमार पटेल अतिथि शिक्षक,राम भगत सहित संपूर्ण विद्यालय परिवार में छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभाशीष दिया।

दलित महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि, दिनांक 07 मई 2024 को अभियोक्त्री जंगल में जब बकरियां चरा रही थी तभी अचानक पीछे से आरोपी रामबाबू शर्मा ने आकर उसका मुंह दबा लिया और वहीं पर पटक दिया, वह जमीन पर गिर गयी फिर जबरजस्ती उसकी मर्जी के बिना आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया।

उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल तरफसे अन्य लोग आ गये जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध महिला पुलिस थाना पन्ना में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय प्रदीप कुशवाहा, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती डॉ. ज्योति जैन द्वारा की गयी।

अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी- रामबाबू शर्मा को धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से एवं धारा 323 भादंसं. में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

सुरक्षा श्रमिक एवं वनरक्षक निलंबित

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। गत दिवस गश्ती के दौरान अवैध रूप से पन्ना टाईगर रिजर्व क्षेत्र मे सागौन की कटाई करने के आरोप मे वनरक्षक सहित सुरक्षा श्रमिक के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए वनरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं वन अपराध कायम किया गया।

पन्ना टाईगर रिजर्व कार्यालय से जारी विज्ञप्ति मे लेख है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के परिक्षेत्र पन्ना बफर अन्तर्गत दिनांक 08 फरवरी को परिक्षेत्र सहायक छापर एवं अन्य वनस्टाफके द्वारा बीट छापर की गश्ती की जा रही थी। गश्ती के दौरान कक्ष कमांक पी - 293 में कुछ व्यक्तियों द्वारा सागौन लकड़ी की छिलाई कर सिल्ली बनाई जा रही थी। जिसे देखकर वन स्टॉफ द्वारा घेराबन्दी कर

आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया गया किन्तु सभी आरोपी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। वन स्टॉफके द्वारा भागते हुये आरोपियों में से दो व्यक्तियों की पहचान बिहारी पिता रामलगन यादव निवासी ग्राम बनहरीकलां जो बीट छापर में समिति सुरक्षा श्रमिक के रूप में कार्यरत है एवं संतोष प्रजापति वनरक्षक बीटगार्ड छापर के रूप मे की गई। इसके उपरांत परिक्षेत्र सहायक छापर के द्वारा मौके से सागौन लकड़ी 07 नग जप्ती की नियमानुसार कार्यवाही की गई। परिक्षेत्र सहायक छापर के द्वारा मौके पर सागौन लकड़ी 07 नग कुल 1.526 घ.मी. जप्त कर आरोपी बिहारी पिता रामलगन यादव निवासी बनहरीकलां एवं संतोष प्रजापति वनरक्षक बीटगार्ड छापर के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त घटनाक्रम का प्रतिवेदन परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना बफर द्वारा तैयार कर सहायक संचालक मड़ला के माध्यम से आज दिनांक 10 फरवरी क्षेत्र संचालक कार्यालय भेजा गया। जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी संतोष प्रजापति वनरक्षक बीटगार्ड छापर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जनगणना समिति की बैठक

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पन्ना जिले में भी जनगणना 2027 की प्रारंभिक तैयारियां आरंभ हो गई हैं। यह जनगणना दो चरणों में होगी। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ऊषा परमार द्वारा जनगणना कार्य के सफल एवं सुचारू संचालन के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आवश्यक बैठक ली गई।

जिला स्तर पर गठित जिला जनगणना समिति के सदस्यों के साथ संपन्न पहली बैठक में अनुविभागीय जनगणना अधिकारी और अन्य अधिकारियों को जनगणना कार्यक्रम तथा विभिन्न चरणों की जानकारी दी गई। इस बैठक में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और डिजिटल डेटा संकलन की कार्ययोजना पर विचार विमर्श कर अवगत कराया गया कि यह

जनगणना देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी। इस बार डेटा संकलन के लिए मोबाइल एप और पोर्टल के उपयोग से गणना की सटीकता और गति बढ़ेगी। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा हर नागरिक का डेटा सही तरीके से दर्ज करने तथा विभागीय समन्वय और तकनीकी समस्याओं के गठन इत्यादि के लिए भी निर्देशित किया गया।

जनगणना निदेशालय के निदेशक मिलन गुप्ता द्वारा भी आवश्यक जानकारियां दी गईं। जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक में बताया गया कि भारत की जनगणना दो चरणों मे होती है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या की जनगणना की जाएगी। प्रथम चरण में स्व गणना पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़ो का संकलन किया जाएगा। जनगणना प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए जिले में रिजर्व सहित लगभग 2800 लोकसेवकों को विभिन्न दायित्व सौंपे जाएंगे। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आगामी एक से 30 मई तक संपादित की जाएगी।

कागजों तक ही सीमित रही आयुष विभाग की योजना

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। औषधीय पौधों की कई प्रजातियां संकट में हैं जिन्हें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से औषधीय खेती को बढ़ावा दिये जाने का निर्णय सरकारों द्वारा लिय गया। किन्तु उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया।

इस तरह की खेती से जहां किसानों को लाभ मिलता वहीं औषधीय खेती के माध्यम से प्रकृति व पर्यावरण का सुधार भी हो सकता थ। शासन की देवारण्य योजना का क्रियान्वयन इसी उद्देश्य से किया जाना था किन्तु यह योजना केवल कागजों एवं फर्जी आंकड़ों तक ही सीमित रह गई।आयुष विभाग की योजना- औषधि पौधों की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ की गई थी। योजना का मकसद किसानों विशेषकर जनजाति क्षेत्र के किसानों की कृषि आय में बढ़ोत्तरी करना था। योजना का क्रियान्वयन आयुष विभाग द्वारा किया जाना था। ज्ञात हो यहां के वनों में बड़ी मात्रा में दुर्लभ औषधि पौधे पाये जाते हैं। देवारण्य योजना के द्वारा प्राकृतिक रूप से उपलध प्रत्येक प्रकार के औषधीय पौधों के संरक्षण और वैज्ञानिक रूप से दोहन और संग्रहण की प्रणाली का विकास किया जा सकता था। योजना में सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर विभिन्न औषधीय पौधों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किया जा सकता था। औषधि पौधों खेती का बढ़ावा देने के लिए किसान को 51 प्रकार की औषधि पौधों की खेती करने के लिए मनरेगा से मदद दी जानी थी। इसके लिये राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया था। राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधि पौधों के भंडारण और विपणन के लिए आयुष औषधि उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ अनुबंध कर बाजार भी उपलब्ध कराया जाना था।

अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 6 ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती वंदना सिंह चौहान के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी यातायात द्वारा अपनी टीम के साथ एंव खनिज टीम के साथ मिलकर शहर में अवैध रूप से परिहवन करने करने वाले रेत ट्रैक्टर ट्राली 06 ट्रेक्टर ट्राली शहर के अन्दर

परिवहन करते पाये जाने पर से उक्त ट्रैक्टर ट्राली चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस चौकी सिविल में सुरक्षार्थ खडे कराये गये।

उप जेल में हुए श्री105 विजिज्ञासा श्रीमाता के मंगल प्रवचन

नवभारत न्यूज

पवई 11 फरवरी। दिगंबर जैन परंपरा के एक महान संत,तपस्वी और आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या श्री 105 विजिज्ञासा श्री माताजी और आर्यिका संघ के द्वारा बुधवार को उप जेल पवई में बंद कैदियों के लिए मंगल प्रवचन का आयोजन किया गया।

श्री माताजी के द्वारा कारागार को सुधार गृह बताया गया,जहां व्यक्ति आकर के अपनी गलतियां को मानते हुए अपने आप को सुधारने का कार्य करता है। उन्होंने कैदियों को भगवान राम को हुए कष्ट,माता सीता को हुए कष्ट,राजा दशरथ माता कैकई के द्वारा किए गए सभी कर्मों को उनके द्वारा किए गए पूर्व में कार्यों की गलती बताया जिसकी वजह से उन्हें कष्ट हुआ। लेकिन उन्होंने इन सब के लिए खुद के कर्मों को कहा। साथ ही उनके द्वारा पश्चाताप कर अपने

गलती को स्वीकार कर सुधारने का उदाहरण सभी के सामने प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि भगवान राम सर्वज्ञ हैं। राम को मानना और राम की मानना दोनों में अंतर है,इसलिए हमें राम को मानने के साथ-साथ राम के आदर्शो को भी मानना चाहिए। मंगल प्रवचन के बाद श्री माताजी के द्वारा जेल परिसर में बने अस्पताल, वाटिका, उद्यान भोजन कक्ष आदि स्थानों का भ्रमण किया और कैदियों के लिए की गई सभी प्रकार की सुविधा के लिए जेल प्रशासन और जेल अधीक्षक की भूरी भूरी सराहना की। इस अवसर पर एसडीएम समीक्षा जैन,जेल अधीक्षक मुनींद्र मिश्रा सहित जैन समुदाय के लोग मौजूद रहे।

चोरी की मोटरसाइकिल सहित 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। पन्ना पुलिस द्वारा अमानगंज थाना क्षेत्र मे मोटर साइकिल चोरी के मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर चोरी की गई मोटर साइकिल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

हासिल जानकारी के अनुसार दिनांक 10 फरवरी को फरियादी अजय आदिवासी पिता शंकर आदिवासी, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मझौली हाल गिदनपठा थाना अमानगंज द्वारा थाना अमानगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 09 फरवरी की शाम करीब 07.00 बजे उसने अपनी मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना 100 सीसी, रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 35 जेडबी 8573 को अपने खेत में बने टपरा के पास खड़ी की थी। रात्रि में भोजन कर सो जाने के पश्चात जब वह सुबह उठा तो मोटर साइकिल वहां नहीं मिली। अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटर साइकिल चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले मे पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन मे टीआई रवि सिंह जादौन के नेतृत्व मे गठित पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी गई मोटर साइकिल के साथ रमपुरा बेरियल के पास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई जहां रमपुरा बेरियल वन चौकी के पीछे जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर संदेही शम्भू आदिवासी पिता सुखलाल आदिवासी, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम मझौली को चोरी गई मोटर साइकिल सहित पकड़ा गया।

जिपं सीईओ ने जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक उमराव सिंह मरावी द्वारा बैंक लिंकेज की कम प्रगति पर 15 सहायक विकासखण्ड प्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

इस संबंध में बताया गया है कि इसके पूर्व भी विभिन्न माध्यमों से बैंक लिंकेज में प्रगति लाने के लिए संबंधितों को निर्देशित किया गया था, लेकिन प्रगति अब तक संतोषजनक नहीं पाई गई। जिपं सीईओ द्वारा नोटिस जारी कर 18 फरवरी को समक्ष में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने व लक्ष्य अनुरूप प्रगति न आने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अजयगढ़ ब्लॉक के सहायक विकासखण्ड प्रबंधक बलभद्र द्विवेदी, रोहणी रमन द्विवेदी, अनिल मिश्रा, पुष्पेन्द्र द्विवेदी, गुनौर ब्लॉक के विजयभानू पाठक, पन्ना ब्लॉक के पंकज गर्ग, शाहनगर ब्लॉक के भगवती प्रसाद मिश्रा, पुष्पेन्द्र परमार, आशीष गर्ग, रश्मि सिंह एवं विनय आर्य तथा पवई विकासखण्ड के सहायक विकासखण्ड प्रबंधक प्रकाश मिश्रा, दिनकर गर्ग, संध्या मिश्रा एवं अंकित पाण्डेय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दवा वितरण शुरू

नवभारत न्यूज

देवेंद्रनगर/पन्ना 11 फरवरी। फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ग्राम बडवारा में घर घर जाकर फायलेरिया दवा खिलाई जा रही हैं। आज दिनांक 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे सीबीएमओ डॉ. अभिषेक जैन द्वारा बड़वारा ग्राम का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे हर घर और हर स्कूल में जाकर लोगों को दवाई खिलाएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि दवाई उनके सामने ही सभी लोग सेवन करें। डॉ. जैन ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक घर तक पहुँचकर दवाई खिलाना आवश्यक है ताकि फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके।

प्रदूषित पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के शासन के आदेश नगरीय निकायों में बेअसर

नवभारत न्यूज

पन्ना 11 फरवरी। इंदौर की घटना के बाद प्रदूषित पेयजल को लेकर शासन ने कड़े आदेश जारी किये। पन्ना नगरपालिका सहित जिले के अधिकांश नगरीय निकायों में कागजों में भले ही खानापूर्ति की गई हो लेकिन वास्तविकता मे अनदेखी की गई है।

शिकायतों की समीक्षा हो जाय तो पता चलेगा कि हुआ क्या?

यदि साल दो साल में प्रदूषित पानी व खराब पाईप लाईनों, विकास योजनाओं के माध्यम से छतिग्रस्त हुई पाईपलाईनों, अन्य योजनाओं से हुई खुदाई के माध्यम से हुई तोड़ फोड़ आदि के मामले में हुई शिकायतों की समीक्षा हो जाय तो पता चलेगा कि जितनी शिकायतें हुई उनमें क्या कार्रवाई हुई? क्या निकायों ने पूरी जिम्मेदारी एवं तत्परता के साथ सुधार किया? क्या जनता की समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास निकायों ने किया? यदि सूचना देने या शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या जिम्मेदारों के खिलाफकार्रवाई हुई? क्या सिस्टम के दोष के चलते समस्यायें पैदा नहीं होती हैं? क्या निगरानी तंत्र को विफल नहीं कहा जा सकता? क्या कभी ऐसे लोगों के खिलाफकार्रवाई हुई जो जनता या उपभोक्ता की शिकायतों को नजरअंदाज करते रहे? क्या पुरानी लंबित शिकायतों पर निकाय गंभीरता से कार्रवाई कर पायेगे? अथवा यह माना जाय कि नगरीय विकास विभाग ने जो एडवायजरी जारी किया है वह केवल इंदौर की घटना के बाद जनमानस में उठते सवालों के लिये डैमेज कंट्रोल करने का एक तरीका है।

विभाग ने एक विस्तृत एडवाईजरी जारी की है। जिसमें विभागीय जिम्मेदारियों साथ हीनागरिकों एवं उपभोताओं की जिम्मेदारियों के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि जल गुणवत्ता खराब होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों प्राप्त होने पर सुधार कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिये। उन कारणों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिये और उन्हें दूर करने के लिये ठोस कदम तुरतं उठाये जाने चाहिये। नगरीय क्षेत्रों की जनता एवं उपभोक्ताओं से भी जल गुणवत्ता एवं खराब पाईप लाईनों के संबंध में सूचना देने एवं शिकायत करने के लिये सुझाव दिये गये हैं। किन्तु सवाल यही है कि जारी एडवाईजरी के अनुसार नगरीय निकायों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ या संतोषजनक कार्रवाई एवं सुधार नहीं कर पाये।

उपभोक्ता ही करता है शिकायत:- यह बात भी सही है कि जहां जिस वार्ड में पानी की समस्या होती है, प्रदूषित पानी की आपूर्ति होती है, जल गुणवत्ता में सुधार नहीं होता तो जनता या उपभोक्ता ही शिकायत करता है। अथवा मीडिया के माध्यम से भी कई बार खबरें प्रकाशित होती हैं। निकायों के पास ढेरों शिकायते पहुचती हैं, यहां तक कि सीएम हेल्पलाईन में भी शिकायतें होती रहती हैं। बावजूद इसे तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं हो पाती।

कई बार जनता को आंदोलन, प्रदर्शन एवं ज्ञापन आदि के माध्यम से भी प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया जाता हे। बावजूद इसके कोई असर नही होता। जिस योजना में करोड़ो अरबों रूपये पानी के नाम पर खर्च हो जाते है वह भ्रष्टाचार की योजना साबित हो जाती है। सत्ताधारी नेता केवल भाषणों के माध्यम से जनता को शुद्ध पानी देने का दावा करते रहते हैं। किन्तु जनता की शिकायतों पर अमल नहीं होता। विभाग स्वयं कोई निगरानी नहीं करता वह तो स्थूल होकर आराम से बैठा रहता है। उसे जनता के स्वास्थ्य से कोई लेनादेना नहीं रहता।

अवैध कनेक्शन एवं मनमानी तरीके से लाइनो में तोडफ़ोड़

पन्ना नगरपालिका जलापूर्ति की बात की जाय तो कई ऐसे उपभोता हैं जो बिना सक्षम अनुमति के अपने घरों के सामने पाईप लाईन में तोड़ फोड़ कर अवैध कनेक्शन प्राप्त कर लिया। इस तरह का कार्य नगर पालिका में काम करने वलो प्लंबरों के सहयोग से किया जाता है। जहां नगर पालिका के अधिकारियों की मौन स्वीकृति भी रहती है। इस तरह के अवैध कनेक्शनों के माध्यम से अच्छी सड़कों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। किन्तु नगरपालिका प्रशासन ऐसे मामलों की निगरानी एवं खोजबीन इसलिये नहीं करता क्योंकि उसी के प्लंबरों के माध्यम से ऐसा किया जाता है। वास्तव में नगर पालिका के प्लंबरों ने शहर में अवैध कनेशन करवाने का गोरखधंधा कर रहे हैं। जहां उनके द्वारा अवैध उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली की जाती है। इसका हिस्सा उन अधिकारियों को भी मिलता है जिनके प्रभार में संबंधित वार्ड होता है।